



भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद्



GOVERNMENT OF INDIA
ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD



केस फाइल नं. Case File Number: KA-21000-MF-XRE-001

जारी करने की तिथि Issuance Date: 26/04/2022

समाप्ति की तिथि Document Number: 19-TA-398398

समाप्ति की तिथि Expiry Date: 26/04/2025

SKANRAY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED, MYSORE, INDIA द्वारा निर्मित SKANRAD 400 द्वारा
निर्मित RADIOGRAPHY (FIXED) के लिए टाइप अनुमोदन
TYPE APPROVAL FOR RADIOGRAPHY (FIXED) EQUIPMENT MODEL SKANRAD 400
MANUFACTURED BY SKANRAY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED, MYSORE, INDIA

परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 16 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम 2004 के नियम 3 को पढ़ें, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् (एईआरबी) एतद्वारा रेडियोलॉजिकल संरक्षा दृष्टिकोण से निम्नलिखित चिकित्सा नैदानिक एक्स-रे उपकरण को टाइप अनुमोदन जारी करता है।

In exercise of the powers conferred under Section-16 of the Atomic Energy Act, 1962 read in conjunction with Rule-3 of the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004, the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) hereby grants Type Approval to following medical diagnostic x-ray equipment from radiological safety view point:

उपकरण का प्रकार Type of Equipment	Radiography (Fixed)
मॉडल का नाम Model Name	SKANRAD 400
विनिर्माता का नाम Name of Manufacturer	SKANRAY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED, India
एक्स-रे ट्यूबों की सं. No. of x-ray tubes	1
महत्तम प्रचालित वोल्टेज Maximum operating voltage	125.000 kVp
महत्तम प्रचालित करंट Maximum operating current	400.000 mA

नियम एवं शर्तें TERMS AND CONDITIONS

1. इन नियमों और शर्तों को आपूर्तिकर्ता के प्राधिकरण के नियमों और शर्तों के संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए। संभावित उपयोगिता को इस प्रकार की स्वीकृति और आपूर्तिकर्ता के प्राधिकरण की एक प्रति प्रदान की जाएगी। These Terms and Conditions to be read in conjunction with Terms and Conditions of Supplier's Authorization. A copy this Type Approval and Supplier's Authorization shall be provided to the prospective utility.
2. इन नियमों और शर्तों को आपूर्तिकर्ता के प्राधिकरण के नियमों और शर्तों के संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए। संभावित उपयोगिता को इस प्रकार की स्वीकृति और आपूर्तिकर्ता के प्राधिकरण की एक प्रति प्रदान की जाएगी। This Type Approval becomes invalid if any change is made in the design of above model.
3. उपकरण खरीदने के लिए एईआरबी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने वाले यूजर को ही टाइप अनुमोदित मॉडल की आपूर्ति की जाएगी। The Type Approved Model shall be supplied only by Suppliers Authorised by AERB and to the user who has obtained requisite permission from AERB to procure the equipment.
4. आपूर्तिकर्ता एक्स-रे उपकरण की स्थापना और कमीशनिंग के बाद उपयोगिता को गुणवत्ता आश्वासन परीक्षण रिपोर्ट के साथ मुहर सहित विधिवत हस्ताक्षरित स्थापना रिपोर्ट प्रदान करेगा। Supplier shall provide duly signed and stamped installation report with Quality Assurance test report to utility after installation and commissioning of x-ray equipment.
5. इस टाइप अनुमोदन की समाप्ति के बाद कथित मॉडल की आपूर्ति इसके पुनर्वैधीकरण पर सशर्त है। The supply of above Model after expiry of this Type Approval is conditional upon its revalidation.


for (सक्षम प्राधिकारी Competent Authority)

C.S. VARGHESE
EXECUTIVE DIRECTOR

सी. एस. वर्गेश / C. S. VARGHESE
उत्कृष्ट सेवाएं एवं कार्यकारी निदेशक
Outstanding Services Executive Director,
ए.क.ए.आर.बी. A.E.R.B.

MR. VISHWAPRASAD ALVA
SKANRAY TECHNOLOGIES LIMITED
PLOT NO 15 TO 17 HEBBAL INDUSTRIAL AREA,
MYSORE, KARNATAKA-570017